हिमाचल प्रदेश विधान समा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान समा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2016

खण्डों का क्रम

खण्ड:

- 1. संक्षिप्त नाम ।
- 2. धारा 3 का संशोधन ।
- 3. धारा 4 का संशोधन ।
- 4. धारा 10-क का संशोधन ।

हिमाचल प्रदेश विधान समा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2016

(विधानसभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सङ्सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:—

5

10

15

20

- 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष संक्षिप्त और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2016 है। नाम।
- 2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन धारा 3 का अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की संशोधन। धारा 3 में.—
 - (क) उपधारा (1) में, ''पचास हजार'' शब्दों के स्थान पर ''अस्सी हजार'' शब्द रखे जाएंगे; और
 - (ख) उपधारा (1—अअ) में; "तीस हजार" शब्दों के स्थान पर "पचानवें हजार" शब्द रखे जाएंगे।
 - मूल अधिनियम की धारा 4 में,—
 - (क) उपधारा (1) में, "पैंतालीस हजार" शब्दों के स्थान पर "पचहत्तर संशोध हजार" शब्द रखे जाएंगे; और
 - (ख) उपधारा (1—अअ) में, "तीस हजार" शब्दों के स्थान पर "पचानवे हजार" शब्द रखे जाएंगे ।
 - 4. मूल अधिनियम की धारा 10-क में,- धारा 10-क का संशोधन।
 - (क) उपधारा (1)में, "दो लाख" शब्दों के स्थान पर "दो लाख पचास हजार" शब्द रखें जाएंगे; और
 - (ख) उपधारां (2) में, "दस हजार" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस हजार" शब्द रखें जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा की सदस्य सुंख—सुविधा समिति ने सदस्यों के वेतन और अन्य सुविधाओं में बढ़ौतरी करने की सिफारिश की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है तथा जिनको उन्हें प्रदान करने का विनिश्चय किया गया है । अतः सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच एकरूपता बनाए रखने के लिए और हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन अधिनियम, 1971 के उपबन्धों को हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अनुरूप लाने के लिए भी माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन को क्रमशः 50,000 / —रुपए से बढ़ाकर 80,000 / —रुपए करने और 45,000 / —रुपए से बढ़ाकर 75,000 / —रुपए करने का विनिश्चय किया गया है। सत्कार भत्तें को क्रमशः 30,000 / —रुपए से बढ़ाकर 95,000 / —रुपए करने का भी विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा के कारण उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए विद्यमान सीमा को 2,00,000 / —रूपए करने का भी विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(वीरभद्र सिंह) मुख्यमन्त्री ।

| शिमलाः | |
|--------|------|
| नाजीवन | 2016 |

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 से 4 के अधिनियमित होने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 24.96 लाख रूप का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य--

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(जी.ए.डी.नस्ति नं0 जी०ए०डी० -सी (डी)-5-3/2016)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2016 की विषय—वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को राज्य विधान सभा में पुर:स्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2016

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

> (वीरमद्र सिंह), मुख्य मन्त्री ।

(डॉo बलदेव सिंह) प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला

तारीख....., 2016

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश विधान समा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4). के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं:

- 3. अध्यक्ष का वेतन आदि.—(1) अध्यक्ष प्रतिमाह पचास हजार रुपए की दर से वेतन और अपनी सम्पूर्ण अविध के दौरान प्रत्येक दिन के लिए, हिमाचल प्रदेश विधान समा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप—धारा (1) के खण्ड (ii) में यथा विनिर्दिष्ट दर पर, भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (1—अ) अध्यक्ष प्रतिमास पांच हजार रुपए की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।
- (1 अ—अ) अध्यक्ष तीस हजार रुपए प्रतिमास की दर से सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।
- (2) अध्यक्ष को उसकी पदाविध के दौरान राज्य सरकार द्वारा शिमला में निःशुल्क सुसिज्जित गृह दिया जाएगा जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार वहन करेगी । राज्य सरकार उसे उसके अध्यक्ष न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनिधक की अविध तक गृह का निःशुल्क अधिमोगी बने रहने की अनुज्ञा भी दे सकेगी ।

- 4. उपाध्यक्ष का वेतन आदि.—(1) उपाध्यक्ष प्रतिमाह पैंतालीस हजार रुपए की दर से वेतन और अपनी सम्पूर्ण अविध के दौरान, प्रत्येक दिन के लिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप—धारा (1) के खण्ड (ii) में यथा विनिर्दिष्ट दर पर, भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (1—अ) उपाध्यक्ष प्रतिमास पांच हजार रुपए की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।
- (1-अअ) उपाध्यक्ष तीस हजार रुपए प्रतिमास की दर से सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) उपाध्यक्ष को उसकी पदावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा शिमला में निःशुल्क सुसज्जित गृह दिया जाएगा जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार वहन करेगी या उसके बदले में उसे तीन सौ रुपये प्रति माह से अनधिक ऐसा भत्ता जो राज्य सरकार नियत करे, संदत्त किया जाएगा । राज्य सरकार उसे उसके उपाध्यक्ष न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि तक गृह का निःशुल्क अधिभोगी बने रहने दे सकेगी ।

स्पष्टीकरण.—उपाध्यक्ष किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा, यदि उसका निवास के लिए आबंटित गृह का मानक किराया एक सौ पचास रुपए प्रतिमास से अधिक हो जाता है।

10-क. रेल द्वारा या वायु मार्ग द्वारा निःशुल्क यात्रा.— (1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी पदाविध के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा देश के भीतर या बाहर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो लाख रूपए के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर होगा:

परन्तु वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम दो लाख रूपए से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण.— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए पद 'कुटुम्ब' से पति—पत्नी तथा उनके अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री सहित अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री (पुत्रीयां) अभिप्रेत होगा ।

(2) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उसके अनुरोध पर, ऐसी यात्रा करने के लिए दस हजार रुपए से अनिधक अग्रिम का हकदार होगा तथा ऐसा संदत अग्रिम, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समायोजित किया जाएगा, ऐसा न होने पर पूर्ण अग्रिम, उसके वेतन और भत्ते से एकमुश्त राशि में वसूल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के अधीन कुल रकम का अवधारण करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 की धारा 10—क या हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के वेतन और भत्ता) अधिनियम, 1971 की धारा 6 के अधीन, उसी वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग या वायुमार्ग द्वारा की गई यात्रा में इस प्रकार उपगत रकम को हिसाब में लिया जाएगा ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill NO. 10 OF 2016

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2016

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

- 1. Short title.
- 2. Amendment of section 3.
- 3. Amendment of section 4.
- 4. Amendment of section 10-A.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follow:—

- This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Short title.
 Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 2016.
- 5 2. In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Amendment of section 3. Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (hereinafter referred to as the "principal Act"),-
 - (a) in sub-section (1), for the words "fifty thousand", the words "eighty thousand" shall be substituted.; and
 - (b) in sub-section (1-AA), for the words "thirty thousand", the words "ninety five thousand" shall be substituted.
 - 3. In section 4 of the principal Act,-

10

Amendment of section 4.

(a) in sub-section (1), for the words "forty five thousand", the words "seventy five thousand" shall be substituted.; and (b) in sub-section (1-AA), for the words "thirty thousand", the words "ninety five thousand" shall be substituted.

Amendment of section 10-A.

- 4. In section 10-A of the principal Act,-
 - (a) in sub-section (1), for the words "two lac rupees", the words "two lac fifty thousand rupees" shall be substituted; and

5

(b) in sub-section (2), for the words "ten thousand", the words "twenty five thousand" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Members Amenities Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha has recommended to enhance the Salaries and other facilities to the Members which has been accepted and has been decided to extend the same to them. Thus, in order to maintain the uniformity amongst the Members, Speaker and Deputy Speaker and also to bring the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's Salaries Act, 1971 in conformity with the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, it has been decided to enhance the salary in respect of the Hon'ble Speaker and Deputy Speaker from Rs. 50,000/- to Rs. 80,000/- and Rs. 45,000/- to Rs. 75,000/- respectively. It has also been decided to enhance Sumptuary Allowance from Rs. 30,000/- to Rs. 95,000/- respectively. It has further been decided to enhance existing limit for reimbursement of expenses incurred on account of free transit facility from Rs. 2,00,000/- to Rs. 2,50,000/- and travelling advance from Rs. 10,000/- to Rs. 25,000/-.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

| Shimla: | |
|---------|--------|
| The | .2016. |

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 to 4 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 24.96 lakhs per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(GAD File No. GAD-C-(D) 5-3/20 16)

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker' Salaries (Amendment) Bill, 2016, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker' Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.

(DR. BALDEV SINGH)
Pr. Secretary (Law).

Shimla:

The _____, 2016.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLALTIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES ACT, 1971 (ACT NO. 4 OF 1971) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Sections:

- 3. Salary etc. of the Speaker.—(1) The Speaker shall be entitled to receive a salary at the rate of fifty thousand rupees per mensem and an allowance for each day during the whole of his term at the same rates as are specified in clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.
- (1-A) The Speaker shall be entitled to receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem.
- (1-AA) The Speaker shall be entitled to receive sumptuary allowance at the rate of thirty thousand rupees per mensem.
- (2) The Speaker during the term of his office shall be provided by the State Government, a free furnished house at Shimla, the maintenance charges of which shall be borne by the State Government. The State Government may also allow him to continue in free occupation of the house for a period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be the Speaker.
- 4. Salary etc. of the Deputy Speaker.—(1) The Deputy Speaker shall be entitled to receive a salary at the rate of forty five thousand rupees per mensem and an allowance for each day during the whole of his term at the same rates as are specified in clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.
- (1-A) The Deputy Speaker shall be entitled to receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem.
- (1-AA) The Deputy Speaker shall be entitled to receive sumptuary allowance at the rate of thirty thousand rupees per mensem.
- (2) The Doputy Speaker during the term of his office shall be provided by the State Government, a free furnished house at Shimla, the maintenance charges of which shall be borne by

the State Government or in lieu thereof he shall be paid such allowance not exceeding three hundred rupees per mensem as the State Government may fix. The State Government may also allow him to continue in free occupation of the house for period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be the Deputy Speaker.

Explanation.— The Deputy Speaker shall not become liable personally for any payment in case the standard rent of the house allotted to him for residence exceeds one hundred and fifty rupees per mensem.

10-A. Free transit by railway or by air.—(1) Speaker and Deputy Speaker during the term of their officer shall be entitled to travel at any time by railway or by air by any class within or outside the country alongwith his family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets of such journey performed, subject to maximum of two lac rupees in each financial year:

Provided that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air in a financial year shall not exceed **two lac rupees**.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, the expression "family" shall mean the spouse their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.

(2) The Speaker and Deputy Speaker, as the case may be, shall be entitled for an advance not exceeding rupees ten thousand on his request to undertake such journey and the advance so paid shall be adjusted before the closing of financial year, failing which the entire advance shall be recovered from his salary and allowances in lump-sum.

Explanation.—For determining the aggregate amount under this section, the amount so incurred in the same financial on journey by railway or air under section 7 of the Salaries and. Allowances of Minsters (Himachal Pradesh) Act, 2000, or under sub-section (1) of section 6 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 shall be taken into account.